हरियाणा सरकार
कार्यालय उप वन संरक्षक, फरीदाबाद
बाई पास रोड, नजदीक रोज गार्डन, सैक्टर–14, फरीदाबाद, दूरभाष 0129–2286760E-mail dfofbd2@gmail.com

क्रमांक 1198 दिनांक 7/3/2023

सेवा में

मुख्य वन संरक्षक,
द0 परि0, गुरूग्राम।

विषय **Diversion of 2.031 ha forest land for construction of Sr. Sec. School along with Suajkund Badkhal road KM 6-7, L side at village Mewla Maharajpur, Sector 43, Faridabad, under Forest Division and District Faridabad Haryana.**

संदर्भ **आपका पत्र कमांक 3741 दिनांक 20.1.2023**

उपरोक्त विषय के संबंध में संदर्भाकिंत पत्र द्वारा लगाई गई त्रुटियों का निदान निम्न प्रकार से किया जाता है–

1. यूजर एजेंसी ने अपने पत्र क्रमाँक 447 दिनाँक 21.12.2022 द्वारा इस कार्यालय में अवगत कराया है कि एम.वी.एन. सोसाईटी द्वारा दो आवेदन पत्र अलग–अलग वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के अनुमति के लिए परिवेश पोर्टल के माध्यम से अपलाई किये है।
   यूजर एजेंसी द्वारा प्रथम आवेदन वर्ष 2011 में एम.वी.एन. टेक्नोलॉजी एवं सोलर एनर्जी सिस्टम एवं रिसर्च इंस्ट्यूट के निर्माण हेतु 7.99254 हैक्टेयर भूमि के परिवर्तन के लिए जिसका खसरा एवं किला नं 34//21, 35//22, 23, 24, 25, 38//2/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/2, 11/1, 11/2, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19/1, 19/2, 20, 39//1 है तथा द्वितीय आवेदन वर्ष 2019 में प्रस्ताव संख्या FP/HR/SCH/41656/2019 द्वारा 2.031 हैक्टेयर वन भूमि के परिवर्तन के लिए आवेदन दिया जिसमें एम.वी.एन. स्कूल स्थित है। जिसका खसरा एवं किला नं 37//6/1, 6/2, 14/2, 15, 16, 17/1, 38//10, 9/1 है। स्पष्ट है कि दोनों आवेदन अलग–अलग है।
2. यूजर ऐजेंसी द्वारा 2.031 है0 वन भूमि पर भवन निर्माण कार्य किया हुआ है। जिसमें यूजर ऐजेंसी के विरूद्ध एफ0ओ0आर0 नं0 0452/012 दिनांक 12.8.2016 व 0473/049 दिनांक 16.10.2020 चाक की गई है। गुग्गल अर्थ उपग्रह द्वारा ली गई तस्वीर अनुसार उक्त भूमि कम से कम सितम्बर 2002 से गैर वानिकी उपयोग में हैं तथा उससे पुरानी ईमेज गूगल इमैजरी पर उपलब्ध नहीं है। नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा दिनांक 10.3.2000 को बिल्डिंग प्लान अपरूव किया गया तथा दिनांक 22.9.2003 व 6.7.2004 को Occupation certificate जारी किया गया। इस कार्यालय के अभिलेख अनुसार इस कार्यालय में 2003 या इससे पहले की कोई भी

क्षति रिपोर्ट नहीं होने के कारण नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा दिनांक 22.9.2003 को जारी किये गये Occupation certificate के आधार पर उल्लंघना रिपोर्ट आपको भेजी गई है तथा जिसके पैनल सी0ए0 प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि में शामिल कर लिया गया है।

3. गूगल अर्थ उपग्रह के (KML FILE) में दर्शित 4.5 है0 वन भूमि के बारे में बताया गया है जिसमें से यूजर ऐजेंसी द्वारा 2.031 है0 वन भूमि पर भवन निर्माण कार्य किया हुआ है, जिसका आवेदन वर्ष 2019 मे प्रस्ताव संख्या FP/HR/SCH/41656/2019 द्वारा दिया गया है जो लंबित है तथा बाकि 2.469 है0 वन भूमि 7.99254 है0 प्रस्ताव का भाग है। जिसका प्रयोग MVN School द्वारा किया जा रहा है, और इसी कारण ही भूमि निर्माण का क्षेत्र गूगल अर्थ ईमेज में अधिक दिख रहा है।

4. बिन्दू 4 अनुसार चाही गई सूचना के बारें में आपको अवगत करवाया जाता है कि मार्डन विघा निकेतन का एक हिस्सा मानव रचना विश्वविघालय से लगता है तथा दूसरा हिस्से में दोनों इन्सीटयूट के बीच में रोड ट्रैफिक इन्सीटयूट स्थित है तथा दोनों के मध्य की दूरी 150 मीटर से कम है।

   मानव रचना इन्टरनैशनल इन्सीटयूट द्वारा दिये गये 13.684 है0 (प्रपोजल नं0 FP/HR/SCH/41500/2019) के डाईवर्सन के बदलें में 14.13 है0 भूमि का प्रबन्ध किया है तथा यूजर ऐजेंसी का परचेज एग्रीमेन्ट इस कार्यालय में दिया गया है (प्रति संलग्न)। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 944 दिनांक 26.12.2022 द्वारा परचेज एग्रीमेन्ट अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एफ0सी0ए0, हरियाणा, पंचकूला को भेजा जा चुका है।

यह आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

उप वन संरक्षक,
फरीदाबाद।